सं0सं0–7/बजट–46-56/2025–26– 119 (7A)

# बिहार सरकार
## स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

**शंभु शरण** भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

**महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,**
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 19/03/2026

**विषयः– "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भोजपुर (आरा) (बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज सहित) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु0 543,99,00,000/–(रुपये पाँच सौ तैतालिस करोड़ निन्यानवे लाख) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 में निर्माण कार्य में लम्बित विपत्रों के भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम राशि से रू० 7,00,00,000/–(रूपये सात करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं0–277(1), दिनांक–16 03.2021 द्वारा "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भोजपुर (आरा) (बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज सहित) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल रु0 543,99,00,000/– (रुपये पॉच सौ तैतालिस करोड निन्यानवे लाख) मात्र के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

2– इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

| क्र0 स0 | वित्तीय वर्ष | राशि (रु0 में) | व्ययादेश सं0/आवंटनादेश सं0 एव दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021–22 | 1,15,50,00,000 | स0–411(1), दिनाक–16 06 2021 |
| 2 | 2023–24 | 20,00,00,000 | स0–536(7), दिनाक–27 02 2024 |
| 3 | 2024–25 | 2,50,00,000 | स0–49(7), दिनाक–27 05 2024 |
| 4 | 2024–25 | 80,00,00,000 | स0–136(7), दिनाक–21 08 2024 |
| 5 | 2024–25 | 96,96,00,000 | स0–406(7), दिनाक–31 01 2025 |
| 6 | 2024–25 | 60,00,00,000 | स0–591(7), दिनाक–28 03 2025 |
| 7 | 2025–26 | 16,50,00,000 | स0–97(7), दिनाक–19 06 2025 |
| 8 | 2025–26 | 25,00,00,000 | स0–176(7), दिनाक–29 07 2025 |
| 9 | 2025–26 | 15,00,00,000 | स0–286(7), दिनाक–08 09 2025 |
| 10 | 2025–26 | 8,00,00,000 | स0–443(7), दिनाक–15 12 2025 |
| 11 | 2025–26 | 5,00,00,000 | स0–34(7A), दिनाक–28 01 2026 |
| 12 | 2025–26 | 35,00,00,000 | स0–94(7A), दिनाक–25 02 2026 |
| कुल | | **4,79,46,00,000** | |

3– ज्ञातव्य है कि राज्य के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज एव अस्पताल के निर्माण कार्य में लम्बित विपत्रों के विरूद्ध भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से रू० 5,00,00,00,000/–(रूपये पॉच अरब) मात्र की अग्रिम की स्वीकृति का प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्, बिहार सरकार की बैठक दिनांक–29 01 2026 के मद सख्या–19 के रूप मे सम्मिलित एवं स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत अग्रिम राशि रू० 500 00 करोड के अधीन विपत्र कोड 8000–20–4210030500103–53–01 अंतर्गत रू० 175.00 करोड मात्र की अग्रिम की स्वीकृति सबंधी विभागीय स्वीकृत्यादेश स०–57(7A), दिनाक–30.01 2026 निर्गत की जा चुकी है।

4– उक्त परिप्रेक्ष्य में "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भोजपुर (आरा) (बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज सहित) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल रु0 543,99,00,000/– (रुपये पॉच सौ तैतालिस करोड निन्यानवे लाख) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 में निर्माण कार्य में लम्बित विपत्रों के भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम राशि से रू० 7,00,00,000/–(रूपये सात करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5– इस व्यय का वहन शीर्ष खण्ड–II-8000 बिहार आकस्मिकता निधि मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–050–भूमि–0103–नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु, विपत्र कोड–20–4210030500103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0103–53–01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में **बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त राशि** से विकलनीय होगा।

6– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0–277(1), दिनांक–16.03.2021 में निहित्त शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

7– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

8– अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

9– बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

10– यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08, 3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

11– प्रस्ताव एवं प्रारूप मे सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12– प्रारूप में आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–7/बजट–46–56/2025–26 के पृष्ठ– 1.60./टि0 पर प्राप्त है।

13– राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक–2779/वि०, दिनांक–19.03.2026 द्वारा निर्गत शिथिलीकरण आदेश के क्रम मे सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। इस संदर्भ मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

14– यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

19.3.26

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:—7/बजट—46—56/2025—26— 119 (7A) /स्वा0, पटना, दिनांक—19/03/2026

**प्रतिलिपि**:— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, भोजपुर (आरा)/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**:—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**:— प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**:— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19.3.26

सरकार के अपर सचिव।